XI रिज़र्व बैंक का विज़न और 2014-15 के लिए कार्यसूची

रिज़र्व बैंक का यह इरादा है कि लगातार पहल करते हुए वित्तीय क्षेत्र में और अधिक सुधार किया जाए और ये पहल पांच स्तंभों पर आधारित हैं। इसकी कार्यसूची में यह निहित है कि सरकार के साथ मिलकर मौद्रिक नीति के ढांचे को मज़बूत किया जाए। बैंकिंग-संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए रिज़र्व बैंक विभिन्न प्रकार के बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने की प्रणाली लागू करेगा और आवश्यकता आधार (ऑन-टैप) यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस प्रदान करने की चेष्टा की जाएगी। कई प्रकार के पूरक उपाय, जैसे - प्राथमिकता क्षेत्र से संबंधित दिशानिर्देशों और केवाईसी मानदंडों को और भी बेहतर बनाने पर विचार किया जा रहा है। रिज़र्व बैंक, वित्तीय बाजार को व्यापक बनाने तथा गहनता प्रदान करने के लिए व्यवस्थित रूप से पहल करने का अपना प्रयास जारी रखेगा। इसके अतिरिक्त, सतत प्रयासों से विनियामकीय और पर्यवेक्षीय व्यवस्था मज़बूत बनेगी, जिससे वित्तीय और गैर-वित्तीय फर्मों की मुश्किलों को कम किया जा सकेगा।

XI.1 वर्ष 2013-14 के मध्य में रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए मध्यावधि कार्यसूची तैयार कर ली थी ताकि वित्तीय क्षेत्र को सुदृढ़, गहन, अधिक कुशल और समावेशी प्रणाली में परिवर्तित किया जा सके। यह कार्यसूची पांच स्तंभों पर आधारित है। इस दृष्टिकोण में ये बातें शामिल हैं : (i) मौद्रिक नीति के ढांचे को मज़बूत बनाना; (ii) मौजूदा बैंकों में अभिशासन की स्थिति बेहतर बनाने के साथ बैंकिंग उद्योग में विविधता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना; (iii) वित्तीय लिखतों के विकल्प को व्यापक बनाना और वित्तीय बाजारों में गहनता पैदा करना तथा चलनिधि बढ़ाना; (iv) वित्त की उपलब्धता बढ़ाना, तथा (v) वित्तीय प्रणाली की क्षमता को सुदृढ़ बनाना ताकि वह दबाव का सामना कर सके।

मौद्रिक नीति के ढांचे और उसके प्रसारण को बेहतर बनाने की दिशा में

अवस्फीति का मार्ग और नये मौद्रिक नीति ढांचे को लागू करना

XI.2 जैसाकि अध्याय I में उल्लेख किया जा चुका है, ऊंची और लगातार बनी हुई मुद्रास्फीति की स्थिति विकास की संभावना और समग्र समष्टि-आर्थिक स्थिरता के प्रति अहम खतरा बन गई है। रिज़र्व बैंक ने अवस्फीति का एक मार्ग तय किया है जिसमें यह लक्ष्य रखा गया है कि सीपीआई मुद्रास्फीति को जनवरी 2015 तक 8 प्रतिशत पर और जनवरी 2016 तक 6 प्रतिशत पर बनाए रखा जाएगा। अध्याय I के संभावना खंड में यह उल्लेख किया गया है कि मौद्रिक नीति ढांचे को सुदृढ़ बनाने और मौद्रिक नीति के प्रसारण में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण क्या होगा। मंशा यह है कि इस दृष्टिकोण को सरकार के समन्वयन से आगे बढ़ाया जाए, जिसमें आपूर्ति की क्षमता को बढ़ाने के सरकार के प्रयासों को और साथ ही रिज़र्व बैंक द्वारा सकल मांग की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पारंपरिक फोकस को ध्यान में रखा जाएगा। मुद्रास्फीति कम करने के लिए आपूर्ति एवं मांग पक्ष, दोनों दृष्टिकोण अनिवार्य हैं। इस प्रकार से, मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने में मौद्रिक राजकोषीय और संरचनागत नीतियों को पूरक के रूप में भूमिका निभानी है। संघीय बजट 2014-15 में राजकोषीय समेकन पथ के अनुपालन, और आपूर्ति संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए दिशा प्रदान करने पर ज़ोर दिया गया है। इसकी सहायता से रिज़र्व बैंक, जनवरी 2014 की मौद्रिक नीति में निर्धारित अवस्फीति मार्ग अर्थात् सीपीआई मुद्रास्फीति को 2015 के प्रारंभ तक 8 प्रतिशत और 2016 के प्रारंभ तक 6 प्रतिशत पर नियंत्रित रखा जाना, का अनुसरण कर सकेगा।

XI.3 वित्त मंत्री के 2014-15 के बजटीय भाषण में यह उल्लेख किया गया है कि सरकार, रिज़र्व बैंक के परामर्श से एक आधुनिक मौद्रिक नीति ढांचे को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रस्तावित नये मौद्रिक नीति ढांचे के कार्यान्वयन से लंबे समय तक मौद्रिक नीति के प्रति विश्वसनीयता पैदा होगी और मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को नियंत्रित किया जा सकेगा।

अत्याधुनिक मॉडल के इस्तेमाल से पूर्वानुमान और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाना

XI.4 मुद्रास्फीति और विकास तथा मौद्रिक नीति के प्रसारण को समझने के लिए केंद्रीय बैंक में पूर्वानुमान तथा विश्लेषण क्षमता का होना अनिवार्य है। इस बात को ध्यान रखते हुए रिज़र्व बैंक के पास व्यवस्थित रूप से क्रमिक मॉडल विकसित करने की कार्यसूची है जो मौद्रिक और समष्टि-आर्थिक नीति के निर्माण एवं विश्लेषण

में अत्यधिक सहायक सिद्ध होगी। कई अन्य केंद्रीय बैंकों के समान, ऐसे मॉडलों को समर्पित तकनीकी टीम के माध्यम से मध्यावधि में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।

बैंकिंग ढांचे को मज़बूत बनाने का प्रयास

अधिक प्रतिस्पर्धी, कुशल एवं विविधतापूर्ण बैंकिंग ढांचे के निर्माण की ओर

XI.5 एक विविधतापूर्ण बैंकिंग प्रणाली विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की आवश्यकताओं को बहुत अच्छी तरह से पूरा कर सकती है। इसकी सहायता से बहुत सी ग्राहक सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं जो उपभोक्ता-कल्याण को बढ़ावा दे सकता है क्योंकि विभिन्न बैंक अपनी पहुंच, चलनिधि, पूंजीकरण और बाजार में अपनी शक्ति के आधार पर अलग-अलग प्रकार से कार्य कर सकते हैं। समग्र रूप से, बैंकिंग प्रणाली में जितनी विविधता आएगी वह उतनी ही अधिक प्रतिस्पर्धी और कुशल बनेगी।

XI.6 01 अप्रैल, 2014 को जारी वर्ष 2014-15 की पहली द्वि-मासिक मौद्रिक नीति के वक्तव्य में यह कहा गया है कि रिज़र्व बैंक विविध प्रकार के बैंकों को लाइसेंस देने तथा आवश्यकता-आधार पर (ऑनटैप) युनिवर्सल लाइसेंस प्रदान करने के स्वरूप के निर्धारण के संबंध में कार्य कर रहा है, ''भारत में बैंकिंग संरचना - भावी दिशा'' विषय पर चर्चा-पत्र तैयार कर रहा है और हाल की लाइसेंसीकरण प्रक्रिया से प्राप्त अनुभवों का इस्तेमाल कर रहा है। इसकी पुनः पुष्टि संघीय बजट 2014-15 में भी की गई थी। विविध प्रकार के बैंक विशेष प्रकार के हितों से संबंधित सेवाएं प्रदान करेंगे जैसे -छोटे कारोबारियों, असंगठित क्षेत्र, कम आय वर्ग के गृहस्थों, किसानों तथा प्रवासी कामगारों की ऋण और विप्रेषण आवश्यकताओं को पूरा करना।

XI.7 तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने जुलाई - 2014 के मध्य में लघु बैंकों और भुगतान बैंकों के लाइसेंसीकरण के संबंध में अलग से दिशानिर्देश जारी किए थे। इसके बारे में हितधारकों से अभिमत एवं सुझाव प्राप्त होने के बाद अंतिम दिशानिर्देश बाद में इसी वर्ष जारी किए जाने की उम्मीद है।

बासेल III लीवरेज अनुपात ढांचा

XI. 8 विश्व के वित्तीय संकट से प्राप्त अनुभवों से पता चलता है कि बैंकिंग प्रणाली में तुलन पत्र में और तुलन पत्र से इतर लीवरेज का अत्यधिक निर्मित हो जाना वित्तीय दुर्बलता का प्रमुख कारण था। इस संदर्भ में, बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित बासेल समिति की हाल की सिफारिशों के आधार पर, रिज़र्व बैंक लीवरेज्ड अनुपात के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी करेगा। बासेल III लीवरेज अनुपात में किसी भी प्रकार का अंतिम समायोजन 2017 तक किया जा सकेगा, ताकि 1 जनवरी, 2018 से उन्नत न्यूनतम पूंजी और चलनिधि अपेक्षा के स्तंभ 1 की ओर जाया जा सके। रिज़र्व बैंक, लीवरेज अनुपात के ढांचे के अतिरिक्त, बीसीबीएस की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रति-चक्रीय पूंजी बफर के लिए रूपरेखा भी तैयार कर रहा है।

एकल/ सामूहिक उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोज़र की सीमाओं की समीक्षा

XI.9 रिज़र्व बैंक ने, किसी प्रतिपक्षी या संबंधित प्रतिपक्षी समूह की आकस्मिक विफलता की दशा में बैंक द्वारा उठाई जाने वाली अधिकतम हानि को नियंत्रण में करने तथा बैंकों की ऋण चुकौती क्षमता को बरकरार रखने के लिए, एकल और सामूहिक उधारकर्ता एक्सपोज़र सीमा निर्धारित किया है। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति ने अप्रैल 2014 में बड़े जोखिमों के संबंध में अपने मानकों में संशोधन किया जिनके तहत 'एकल' और 'प्रतिपक्षियों के समूह' के लिए एक्सपोज़र सीमाओं को टिअर-1 पूंजी के 25 प्रतिशत तक निर्धारित किया गया है। उधारकर्ताओं के समूह के लिए हमारी वर्तमान एक्सपोज़र सीमा कहीं अधिक है जो पूंजीगत निधियों (इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त पोषण के लिए 10 प्रतिशत और अधिक) की 40 प्रतिशत है। प्रस्ताव है कि वर्ष 2014-15 में एक्सपोज़र मानकों की समीक्षा की जाए ताकि संशोधित वैश्विक मानकों के साथ क्रमिक रूप से ताल-मेल बैठाया जा सके। चक्रीय गिरावट के दौरान एक्सपोज़र संबंधी मानदंड़ों में सख्ती बरतने से जोखिम के रोकथाम में भी मदद मिलेगी क्योंकि ऐसा करने पर बैंक के एक्सपोज़र में और अधिक कमी आएगी और इस एक्सपोज़र का विस्तार बड़े-बड़े एवं संगत प्रतिपक्षियों तक सीमित न रहकर बहुसंख्यक असंगत प्रतिपक्षियों में भी होगा।

गैर-बैंक वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं की व्यवहार्यता में सुधार

XI.10 जहां बैंक अपने आप में विशिष्ट हैं क्योंकि वे चेक आधारित जमा राशि की सुविधा प्रदान करते हैं और उनके पास क्रेडिट निर्माण की क्षमता होती है लेकिन गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों

(एनबीएफसी) का वित्तीय प्रणाली में अतिमहत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वे कम मध्यस्थता लागत पर विशेष लक्षित सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। विभिन्न समितियों द्वारा की गई सिफ़ारिशों और वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) द्वारा दिए गए सुझावों तथा इस क्षेत्र में हुए बदलावों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक इस समय एनबीएफसी के मौजूदा विनियामकीय ढांचे की समीक्षा करने में व्यस्त है। विभिन्न वित्तीय मध्यवर्तियों द्वारा की जा रही इसी प्रकार की गतिविधियों के लिए मौजूद विनियमन को समुचित रूप से संगत बनाने के दृष्टिकोण से कुछ परिवर्तनों पर विचार किया जा रहा है। फलस्वरूप, वित्त जगत के जिन क्षेत्रों की समीक्षा की जा रही है उनमें कोर पूंजी का सुदृढ़ीकरण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड, जमाराशियों को स्वीकार करना, कारपोरेट अभिशासन, उपभोक्ता संरक्षण और रिपोर्टिंग में वृद्धि करना, प्रकटन और पारदर्शिता के लिए विवेकपूर्ण विनियमन बनाया जाना शामिल है। इसके अलावा, पर्यवेक्षणीय ढांचे को मजबूत करने के लिए भी रिज़र्व बैंक समुचित उपाय कर रहा है।

XI.11 अन्य उपाय जिन पर विचार किया जा रहा है उनमें एनबीएफसी द्वारा निधियां जुटाने के लिए उपलब्ध संसाधनों की जांच करना शामिल है ताकि इस क्षेत्र के लिए निधियों की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निजी प्रतिभागिता पर संशोधित विनियमनों को ध्यान में रखते हुए निजी प्रतिभागिता के माध्यम से डिबेंचर जारी कर राशि जुटाने पर भी पुनर्विचार किया जाएगा। रिज़र्व बैंक जी-20 और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के कार्य को भी आगे बढ़ाने का प्रस्ताव करता है ताकि अंतरसंबद्धता के संभावित क्षेत्रों और ऐसे निकायों की पहचान की जा सके जो औपचारिक वित्तीय क्षेत्र के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं।

XI.12 कुछ कंपनियों द्वारा अप्राधिकृत रूप से जमा राशि ग्रहण करने के संबंध में हाल ही में हुए खुलासे को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व विज्ञापन और ग्राहक जागरुकता के बारे में अपनी मुहिम तेज कर रहा है ताकि जनता को किसी निकाय के पास अपना धन जमा करने के पूर्व समुचित जांच-पड़ताल करने की आवश्यकता के बारे में बताया जा सके और उसे इस बारे में शिक्षित किया जा सके। राज्य स्तरीय समन्वय समितियों को मजबूत किया जा रहा है ताकि वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों और राज्य सरकारों के बीच सूचना के आदान-प्रदान को और बढ़ाया जा सके तथा अनुशासनहीन निकायों के विरुद्ध समन्वित रूप से कार्रवाई की जा सके। इसके अतिरिक्त, बाजार आसूचना को सुदृढ़ करने के प्रयास जारी हैं जो इस क्षेत्र के प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।

शहरी सहकारी बैंक के लिए पर्यवेक्षणीय ढांचे को और मजबूत करना

XI.13 01 मार्च 2012 से शहरी सहकारी बैंकों को पर्यवेक्षणीय कार्रवाई फ्रेमवर्क (एसएएफ) के तहत लाया गया है। यदि किसी शहरी सहकारी बैंक का कोई मुख्य संकेतक गिरावट का संकेत देता है तो इस फ्रेमवर्क में प्राथमिक रूप से कार्रवाई करने की व्यवस्था की गई है। प्रस्ताव है कि एसएएफ को मजबूत बनाया जाए ताकि समस्याओं की पहचान की जा सके और प्रारंभिक अवस्था में ही उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके।

XI.14 सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में समेकन की सुविधा देने और मजबूत निकायों के आविर्भाव को बढ़ावा देने तथा कमजोर/अव्यवहार्य निकायों की बाधा-रहित विदाई के लिए व्यवस्था बनाने के लिए वर्ष 2005-2010 के दौरान शहरी सहकारी बैंकों के विलय/समामेलन के लिए जो दिशानिर्देश बनाए गए थे उनकी भी समीक्षा की जाएगी। नकारात्मक नेट वर्थ वाले बैंकों की आस्तियों और देयताओं के विलय/अधिग्रहण की सुविधा प्रदान करने के लिए इस प्रकार की प्रणाली विकसित करने का प्रयास किया जाएगा कि अधिग्रहणकर्ता बैंक को हानि का बोझ न उठाना पड़े। इस समय किसी शहरी सहकारी बैंक को वाणिज्यिक बैंक में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं है। भारत सरकार के साथ कानूनी परिवर्तनों को सक्षम बनाने के लिए रिज़र्व बैंक इस विषय को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता है ताकि बड़े और इच्छुक बहु-राज्यीय शहरी सहकारी बैंक अपने को वाणिज्यिक बैंकों में परिवर्तित कर सकें।

दबाव जांच में सुधार लाना

XI.15 अगले कुछ वर्षों में रिज़र्व बैंक, बैंकों की दबाव जांच करने के लिए अपने उपकरणों में और सुधार करने का प्रयास करेगा, इसके लिए विभिन्न प्रकार के संकेतकों को शामिल किया जाएगा। पिछले तीन वर्षों के दौरान रिज़र्व बैंक ने काफी क्षमता विकसित की है और इसके पास एक सुस्थापित दबाव जांच फ्रेमवर्क है, फिर भी इसे आगे और परिष्कृत किया जा सकता है विशेष रूप से मल्टी-फैक्टर शुरू करने के संबंध में। रिज़र्व बैंक जून और दिसंबर में दो बार प्रकाशित होने वाली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसबी) के माध्यम से अपने दबाव परिणामों का प्रचार-प्रसार करता रहा है। रिज़र्व बैंक, भारत में बैंकिंग की प्रगति और रुझान संबंधी अपनी सांविधिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। अब से बाद में उल्लिखित प्रकाशन को यह

दिसंबर में प्रकाशित होने वाली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रकाशित करने का विचार करता है ताकि प्रकाशनों में बेहतर तालमेल बैठाया जा सके।

वित्तीय बाजारों को गहन, व्यापक तथा अधिक चलनिधि युक्त बनाना

XI.16 बाजारों के गहन, व्यापक तथा अधिक चलनिधि युक्त और कुशल होने से वृद्धि में सहायता मिलती है। इस प्रक्रिया को अधिक कुशल एवं पारदर्शी बनाने के लिए रिज़र्व बैंक वित्तीय बाजारों में सुधार लाने, काउंटर पर लेनदेन (ओटीसी) किए जाने वाले व्युत्पन्नियों के व्यापार के लिए ट्रेड रिपोजिटरी की स्थापना करने तथा कर्ज प्रबंध रणनीति को सहायता प्रदान करने के लिए बहुत से अन्य कदम उठाने की योजना बना रहा है।

वित्तीय बेंचमार्कों में सुधार

XI.17 रिज़र्व बैंक ने वित्तीय बेंचमार्कों पर गठित समिति (अध्यक्ष: पी. विजय भास्कर) की सिफारिशों के समान भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्डा) एवं भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) को प्रमुख रुपया ब्याज दर तथा विदेशी मुद्रा बेंचमार्क निर्धारित करने के लिए संयुक्त रूप से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना करने का सुझाव दिया है। इसका उद्देश्य उनके वर्तमान सरकारी संरचना के कारण बेंचमार्क निर्धारित करने की प्रक्रिया सें उत्पन्न हो रहे हितों के टकराव को दूर करना है। प्रस्तावित स्वतंत्र निकाय, वित्तीय बेंचमार्कों से संबंधित समिति की सिफारिशों को लागू करेगा और साथ ही वित्तीय बेंचमार्कों से संबधित अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) के सिद्धांतों का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगा। बैंकों तथा प्राथमिक डीलरों की बेंचमार्क प्रस्तुतिकरण संबंधी (सबमिशन) गतिविधियों, जिसमें प्रस्तुतियों के लिए उनके गवर्नेंस की व्यवस्थाएं भी शामिल हैं, को रिज़र्व बैंक के ऑन-साइट एवं ऑफ-साइट पर्यवेक्षण प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा।

काउंटर पर लेनदेन होने वाली व्युत्पन्नियों के लिए ट्रेड रिपोजिटरी

XI.18 ट्रेड रिपोजिटरी को रिपोर्ट किए गए विदेशी मुद्रा फॉरवार्ड्स एवं ऑपशनों जैसे काउंटर पर लेनेदेन किए जाने वाले अंतर-बैंकों की प्रमुख विदेशी मुद्रा (एफएक्स) व्युत्पन्नियों के मूल्य एवं मात्रा से संबंधित सूचना की घोषणा करने के लिए लोक सूचना प्रसारित करने के लिए भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के अंतर्गत समुचित प्रणाली की स्थापना की जाएगी।

कर्ज बाजारों का विकास

XI.19 बाजार से रु. 6 ट्रिलियन का उधार लेने के कार्यक्रम के साथ राजकोषीय नीतियों के प्रबंध में सरकारी कर्ज बाजारों की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो गई है। कर्ज बाजार का विस्तारकारी-प्रभाव (स्पिलओवर इफैक्ट) होता है, जिसका असर ब्याज दरों तथा विनिमय दर पर भी पड़ता है। रिज़र्व बैंक की योजना एक समग्र कर्ज प्रबंध रणनीति तैयार करने की है जिसमें स्वस्थ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का समावेश हो और जो विभिन्न प्रकार के निवेशकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मियाद (मैच्योरिटी) उपलब्ध कराए, सरकारी कर्ज का समेकन करे और सक्रिय स्विच/वापसी-खरीद (बाईबैक) परिचालनों के माध्यम से विस्तारणीय (रोलओवर) जोखिम को कम कर सके।

XI.20 सरकारी प्रतिभूति बाजारों में चलनिधि की स्थिति में सुधार लाना भी प्राथमिकता पर है। इस संदर्भ में, सरकारी प्रतिभूतियों के अधिविक्रय (शार्ट सेल) एवं पुनःखरीद (रिपो)/पुनःक्रय (रिवर्सरिपो) से संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा करने की योजना बनाई गई है ताकि ''पुनःखरीद की गई'' सरकारी प्रतिभूतियों की सीमित पुनः-पुनःखरीद (रि-रिपो)/पुनःदृष्टिबंधन (रि-हाइपोथिकेशन) को प्रारंभ किया जा सके। प्राथमिक डीलरों द्वारा बाजार निर्माण को पुनरुज्जीवित करने के संभावित उपायों की भी जांच की जाएगी। 2014-15 के दौरान ब्याज दर अदला-बदली (आईआरएस) बाजार में केंद्रीय प्रतिपक्षी (सीसीपी) के साथ अदला-बदली करने की सुविधा प्रारंभ करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अधिक तीव्र प्रवाह-क्षमता, बेहतर कार्यात्मकता, सुविधायुक्त यूजर इंटरफेस और मैसेज फॉर्मेटों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुसंगतता को हासिल करने के उद्देश्य से तयशुदा लेनदेन प्रणाली-आर्डर मिलान (एनडीएस-ओएम) प्लेटफॉर्म के उन्नयन की शुरुआत की जाएगी। भारतीय सरकारी कर्ज प्रतिभूतियों के अंतरराष्ट्रीय निपटान की व्यवहार्यता की भी जांच की जाएगी।

विदेशी मुद्रा प्रबंध का युक्तियुक्तकरण

XI.21 2013-14 की दूसरी तिमाही से चालू खाता घाटा (सीएडी) की स्थिति में सुधार होने के बावजूद भारत जैसी पूंजी की दृष्टि से अपर्याप्त अर्थव्यवस्था में दृढ़ एवं स्थायी पूंजी प्रवाहों की जरूरत, बचत-निवेश के अंतर को पूरा करने तथा अर्थव्यवस्था में

निवेश के लिए संसाधन जुटाने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हो जाती है। इस पृष्ठभूमि के मद्देनजर, विदेशी मुद्रा प्रबंध का उद्भव दीर्घावधि उद्देश्यों के साथ ही साथ विदेशी क्षेत्र की अल्पावधि गतिविधियों को भी ध्यान में रखते हुए होगा।

XI.22 रिज़र्व बैंक का ध्यान जिन विशिष्ट क्षेत्रों पर होगा उनमें निम्नलिखित शामिल हैं : (i) विदेशी निवेश प्रणाली को सरल करना ताकि सभी हिस्सेदारों के लिए उसका प्रयोक्ता-अनुकूल (यूजर-फ्रेंडली) होना सुनिश्चित किया जा सके (ii) बाह्य वाणिज्यिक उधार की संभावना की जांच करना, तथा (iii) विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी बाजार की समीक्षा करना ताकि उसके विस्तार एवं गहनता को बढ़ाया जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए, निकटस्थ लक्ष्य वर्तमान विनियमों को समेकित एवं युक्तियुक्त करना है ताकि सरल, समग्र और पारदर्शी प्रणाली उपलब्ध कराई जा सके। रिज़र्व बैंक की कार्ययोजना में आधारभूत संरचना क्षेत्र के लिए उधार लेने की प्रणाली की समीक्षा करना शामिल है। रुपया के प्रभुत्व वाले बांडों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने के लिए बहुपक्षीय ऐजेंसियों के साथ ही साथ आधारभूत संरचना का वित्त पोषण करने वाली भारतीय कंपनियों का ढांचा तैयार करने की संभावनाओं की तलाश भी की जाएगी।

XI.23 विदेशी मुद्रा बाजार में प्रतिभागियों को अपने विदेशी मुद्रा संबंधी जाखिम को नियोजित करने में मदद करने के लिए और अधिक उत्पादों की आवश्यकता है। अनिवासियों को भी बाजार में और अधिक प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए और उसके माध्यम से पूंजी खाता उदारीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआईज़) को अब देशी एक्सचेंज ट्रेडेड व्युत्पन्नी बाजार का एक्सेस करने की अनुमति प्रदान की गई है। अनुभव के आधार पर प्रक्रिया को और युक्तिसंगत किये जाने पर विचार किया जाएगा। मध्यावधि में, अंतरराष्ट्रीय हिस्सेदारों को काउंटर पर लेनदेन वाले बाजार में प्रवेश प्रदान करने पर भी विचार किया जा सकता है। इनके अलावा, आने वाले वर्षों में ऑप्शन बाजारों का भी विस्तार किया जा सकता है ताकि बाजार के प्रतिभागी अधिक आसानी से और किफायती ढंग से हैजिंग कर सकें।

वित्तपोषण की उपलब्धता में सुधार लाना और उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करना

वित्तपोषण की उपलब्धता में सुधार लाना

XI.24 रिज़र्व बैंक द्वारा विगत कई वर्षों के दौरान गरीब लोगों और लघु उद्यमों तक वित्तपोषण की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम देखे गए हैं। तथापि, कार्य की अत्यधिक विशालता को देखते हुए इन प्रयासों को बहुत आगे ले जाने की आवश्यकता है। विद्यमान उपभोक्ताओं के लिए नवोन्मेषी उत्पादों, प्रौद्योगिकी, दूरसंचार संबंधी आधारभूत संरचना एवं सरकार के बायोमेट्रिक डाटाबेस का प्रयोग करने तथा कार्य-निष्पादन एवं क्षमता के बीच के अंतर को कम करने के लिए पहुंच को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। बैंकिंग को अधिक अनुकूल बनाने के उद्देश्य से 'अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)' संबंधी दिशानिर्देशों की पुनः जांच की जाएगी। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इससे धन-शोधन को रोकने की शर्तों को कमजोर नहीं किया जाए। बदलती आर्थिक प्राथमिकताओं के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से संबंधित दिशानिर्देश कदमताल नहीं कर पाए हैं और इसके कारण संसाधनों का कम दक्षतापूर्वक प्रयोग हो सकता है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से संबंधित दिशानिर्देशों की वर्ष के दौरान समीक्षा की जाएगी।

XI.25 आर्थिक रूप से वंचित लोगों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में और अधिक बढ़ोत्तरी करना सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को जारी रखने के क्रम में जनवरी 2013 में बैंकों को 2013-16 की अवधि के लिए नई 3-वर्षीय वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) तैयार करने को सूचित किया गया। नई योजना के अंतर्गत छोटे मूल्य के लेनदेन करने वाले उपभोक्ताओं के लिए ऋण संबंधी उत्पादों की उपलब्धता/प्रवाह को बढ़ाकर लेनदेन की मात्रा, विशेष रूप से बिजनेस कॉरेसपांडेंट्स-सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (बीसी-आईसीटी) खातों में, को बढ़ाना सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया क्योंकि लेनदेन की लागत कम करने तथा वित्तीय समावेशन को व्यवहार्य बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग प्रमुख बात है।

XI.26 वित्तीय समावेशन के प्रयासों को भुगतान प्रणालियों के क्षेत्र में की गई पहलों का सहयोग मिलेगा। देश में मोबाइल बैंकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे ताकि देश में उपलब्ध मोबाइल की व्यापकता का लाभ उठाया जा सके। सभी बैंकों में हितधारकों के साथ मिलकर मोबाइल बैंकिंग के लिए मानकीकृत अप्लीकेशन होने की व्यवहार्यता की तलाश करने के अतिरिक्त लेनदेन में शामिल ग्राहक, लेनदेनों की सुरक्षा और ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए मानकों को लागू किया जाएगा।

XI.27 रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में गठित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से संबंधित अधिकार-प्राप्त समितियों को सूचित किया जाएगा कि एमएसई की रुग्ण इकाइयों के पुनर्गठन/पुनरुद्धार प्रक्रिया की प्रगति की अधिक सघनतापूर्वक निगरानी तथा समीक्षा की जाए ताकि एमएसई इकाइयों की रुग्णता का जल्दी पता लगाया जा सके और उनका समय पर पुनरुत्थान किया जा सके। इसके अलावा, एमएसएमई क्षेत्र को तीव्र और कुशल वित्तपोषण के विकल्प उपलब्ध कराने के लिए व्यापार में प्राप्य बट्टा प्रणाली (टीआरईडीएस) की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है। यह प्रणाली एमएसएमई, उनके कॉर्पोरेट खरीददारों के साथ ही साथ ऋण प्रदाताओं को एक साथ लाकर खड़ा करेगी और एमएसएमई क्षेत्र द्वारा झेली जा रही चलनिधि प्रबंध की बाध्यताओं को कम करेगी।

वित्त देने को सुकर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और भुगतान प्रणालियों का प्रयोग

XI.28 2014-15 के लिए भुगतान और निपटान प्रणालियों की कार्रवाई योग्य कार्यसूची में अखिल भारतीय बिल भुगतान प्रणालियों जो कभी भी, कहीं भी बिल भुगतान करने को सुकर बनाएगी, से संबंधित दिशानिर्देशों और परिचालनात्मक मानदंड़ों को लागू करना शामिल होंगे। इसके साथ-साथ, भुगतान प्रणालियों जो समान सेवाएं प्रदान करती हैं अथवा समान बाजार के घटकों (उदाहरण के लिए इलेकट्रानिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) और राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच)) की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, के समेकन का कार्य शुरू किया जाएगा।

व्यापक उपभोक्ता संरक्षण विनियमन तैयार करने की योजना

XI.29 किसी भी उद्योग के विनियमन जोखिम को कम करने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करने संबंधी उचित प्रथाओं को अपनाने की धारणा से मार्गदर्शित होते हैं। उपभोक्ताओं की अतिसंवेदनशीलता विशेष रूप से बैंक सहित वित्तीय मध्यस्थता करने वाली संस्थाओं द्वारा रीटेल उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं की समय रहते पहचान की गई है। इसलिए, एक एकीकृत उपभोक्ता संरक्षण ढांचा जो वित्तीय प्रणाली के सभी घटकों पर लागू होगा, बनाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। 2014-15 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने घरेलू अनुभव और वैश्विक श्रेष्ठ प्रथाओं के आधार पर व्यापक उपभोक्ता संरक्षण विनियमन बनाने का प्रस्ताव किया है। बैंकिंग क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर उपभोक्ता अधिकार चार्टर बनाया जाएगा। चार्टर से अपेक्षा होगी कि वह भविष्य में एक ऐसे व्यापक वित्तीय उपभोक्ता कोड के रूप में कार्य करे जिससे कि वित्तीय उत्पादों के उपभोक्ताओं को बेहतर ढंग से संरक्षण प्रदान किया जा सके और साथ ही वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि उनके पास जवाबदेह वित्तीय निर्णय करने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध हैं।

मुद्रा प्रबंधन संबंधी सुनियोजित पहलें

XI.30 रिज़र्व बैंक आम जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने और मुद्रा प्रबंधन में सुधार करने के लिए अनेक उपाय करने की योजना बना रहा है। यह अपेक्षा की जाती है कि आगामी वर्ष तक प्लास्टिक नोटों को जनता में आज़माया जाएगा। रिज़र्व बैंक, बैंकनोटों की आयु को बढ़ाने के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। संचलन में नोटों की लगातार बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक भंडारण, परिवहन तथा वितरण के क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के साथ-साथ प्रायोगिक परियोजना के रूप में पूर्णतः स्वचालित नकदी संसाधन केंद्र स्थापित करेगा। मुद्रा नोट मुद्रण प्रौद्योगिकी में हुई नवीनतम गतिविधियों का लाभ उठाने और जालसाज़ो से सतर्क रहने के लिए नई सीरीज़ के बैंकनोटों को शुरु करने और साथ ही सिक्कों को ग्राहक अनुकूल तथा टिकाऊ बनाने के लिए इन सिक्कों की रीडिजाइनिंग का भी प्रस्ताव है। रिज़र्व बैंक मुद्रा नोट की पैंकिंग में भी सुधार कर रहा है ताकि इन्हें संभालना और आसान हो सके।

कठिनाइयों का सामना करने के लिए वित्तीय प्रणाली की क्षमता में सुधार करना

XI.31 तनाव और कठिनाइयों का सामना करने के लिए वित्तीय प्रणाली की क्षमता में सुधार करना न केवल प्रति-चक्रीय बफर प्रदान करने के जरिए किया जाना महत्त्वपूर्ण है बल्कि प्रभावी समाधान प्रणाली के जरिए तनाव का सीधे समाधान करके भी किया जाना महत्त्वपूर्ण है। इस संबंध में रिज़र्व बैंक ने 2013-14 के दौरान अनेक उपाय और कारपोरेट ऋण पुनर्संरचना प्रणाली, ऋण सूचना और समाधान प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं।

XI.32 एफएसबी द्वारा समर्थित प्रभावी समाधान प्रणाली से संबंधित प्रमुख विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय संस्थाओं के लिए

समाधान प्रणाली पर गठित कार्यदल ने जनवरी 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में संपूर्ण वित्तीय स्थिरता पर नज़र रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के स्वामित्व के अधीन न आने वाले एवं उनके द्वारा असंचालित समस्त वित्तीय संस्थाओं तथा वित्तीय बाजार की बुनियादी संरचना (एफएमआई) के लिए एक समाधान प्रणाली की स्थापना किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। एफएसडीसी के साथ मिलकर रिज़र्व बैंक आवश्यक कानूनी और संस्थागत परिवर्तन और रिजोलुशन फंड सृजित करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहता है।

बैंक द्वारा की गई अनुसंधान पहलें

XI.33 एक सफल नीतिगत कार्यसूची और इसका कार्यान्वयन जिसमें आम तौर पर उपर्युक्त पांच स्तंभ शामिल हैं, में अनुसंधान सहयोग की आवश्यकता है। तदनुसार, एक अनुसंधान कार्यसूची रिज़र्व बैंक में तैयार की गई है। मौद्रिक नीति के क्षेत्र में, इन अध्ययनों में वांछनीय मौद्रिक ढांचा और मौद्रिक संचलन के पक्ष शामिल किए जाएंगे। बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित अध्ययनों में आस्ति गुणवत्ता में गिरावट, बासल III के संदर्भ में बैंकों के लिए पूंजी जुटाना और प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण बैंकों की समस्याओं को शामिल किया जाएगा। वित्त की पहुंच के लिए भारतीय बैंकों के ऋण संविभाग का विश्लेषण छोटे उधारकर्ताओं को प्रदान किए गए वित्त की पहुंच को समझने के लिए किया जाएगा। कारपोरेट कठिनाई के क्षेत्र में अनर्जक आस्तियों में हुई बढ़ोतरी संबंधी कारण और कारपोरेट तुलन-पत्र में विनिमय दर अस्थिरता के प्रभाव की जांच की जाएगी। अन्य अध्ययन बाह्य क्षेत्र, राजकोषीय नीति, वित्तीय एकीकरण, निवेश सर्किल और संपत्ति प्रभाव से संबंधित हैं।

XI.34 रिज़र्व बैंक के अनुसंधान स्टाफ-सदस्यों ने अपने दक्ष स्टाफ-सदस्यों तथा उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान एवं अध्ययन केंद्र (कैफरल) में अतिथि के तौर पर बुलाए गए विद्वानों के साथ मिलकर अनुसंधान की संभावनाओं की भी तलाश की है। इनमें से विशेष रुचि के विषय हैं - वित्तीय बाजार और विनिमय दरें।

XI.35 एकल बिंदु आंकड़ों के संग्रहण, संसाधन और प्रसार पर जोर देने के लिए रिज़र्व बैंक सांख्यकीय आंकड़े और सूचना प्रबंध प्रणाली में सुधार करने पर विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य न सिर्फ रिज़र्व बैंक में डेटा गवर्नेंस प्रथाओं में सुधार करना है बल्कि संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करना है। इसमें मैन्यूअल हस्तक्षेप के बिना एक्सबीआरएल (एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज) के जरिए सभी प्रकार के रिटर्न और आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण को बुद्धिसंगत बनाना भी शामिल है। रिज़र्व बैंक के भीतर और बाहर आंकडे साझा करने के लिए अधिक संरचित आंकड़ा प्रसार नीति पर विचार किया गया है। अनुसंधान और सांख्यकीय क्षेत्र में किए गए इन उपायों से रिज़र्व बैंक में नीति और परिचालनों के पक्ष में विश्लेषणात्मक मूल्यांकन में सुधार होने की आशा है।